राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–702/2012/झुंझुनू

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–द्वितीय, वृत्त–झुंझुनू .....अपीलार्थी
बनाम
मैसर्स इन्दौरिया आयरन एण्ड,
स्क्रेप ट्रेडर्स, झुंझुनू .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :
श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी–राजस्व की ओर से
अनुपस्थित ..... प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से
निर्णय दिनांकः– 25/05/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 207/आरवेट/झुंझुनू /2010–11 में पारित आदेश दिनांक 07.07.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट द्वितीय वृत्त–झुंझुनू(जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश वर्ष 2007–08 दिनांक 31.03.2010 जो राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा–25(1)18(1)55 व 58(1) के अन्तर्गत कर रू. 32,00.00 रिवर्स टैक्स 9,532.00 तथा शास्ति धारा–64 के तहत् रू. 500.00 एवं रू. 32.00.00 (वैट–38 का समायोजन नहीं दिया गया) कुल मांग रू. 16,432.00 प्रत्यर्थी के विरूद्ध आरोपित की गई है। उक्त आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने अपील आंशिक स्वीकार कर, प्रकरण पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करने हेतु सशक्त अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गई है।

3. प्रत्यर्थी–व्यवहारी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। अतः अपीलार्थी–राजस्व के विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकतरफा बहस सुनी गई। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने सशक्त अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने बिक्री रू0 67,000/– को अपनी नियमित लेखा पुस्तकों में दर्ज कर रखा है तथा फर्म की घोषित बिक्री में शामिल कर रखा है। प्रत्यर्थी ने मैसर्स हिन्दुस्तान कोपर लि. खेतड़ीनगर से माल क्रय किया है, लेकिन विक्रेता फर्म ने इसे वैट–09 में नहीं दर्शाया है। अपीलीय अधिकारी ने धारा 64 में शास्ति आरोपण के पूर्व प्रत्यर्थी को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध होने से अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण प्रतिप्रेषित करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अपीलीय अधिकारी ने जांच कर नियमानुसार ITC समायोजन करने के निर्देश दिये है। अतः अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने के कारण, इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

5. फलतः अपीलार्थी–राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष